भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या †2687

दिनांक 09.07.2019/18 आषाढ़,1941 (शक) को उत्तर के लिए

दिल्ली में अपराधों में बढ़ोतरी

†2687. श्री गौतम गंभीरः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विगत वर्ष के दौरान दिल्ली में लगभग प्रति तीन मिनट में एक आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया जो कि 2014 की तुलना में 23 प्रतिशत अधिक है और यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी तुलनात्मक ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या जिन अपराधों ने बड़ी संख्या में शहर के लोगों को झकझोर दिया वह चोरी, डकैती और अपहरण की बढ़ती घटनाएं हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क) से (ग): दिल्ली पुलिस द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, मोटर वाहनों एवं अन्य संपत्तियों की चोरी के संबंध में ई-एफआईआर के ऑनलाइन पंजीकरण सहित अपराधों की रिपोर्टिंग और पंजीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिये उठाये गए कई कदमों के कारण, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पंजीकृत मामलों की संख्या अधिक हो सकती है। तथापि, वर्ष 2014 की तुलना में विगत तीन वर्षों के दौरान कुल जघन्य अपराधों की संख्या में काफी अधिक गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है, जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	**2014**	**2016**	**2017**	**2018**
पंजीकृत कुल जघन्य अपराधों की संख्या	10266	8238	6527	5688
वर्ष 2014 की तुलना में गिरावट का प्रतिशत	-	19.76	36.42	44.59

वर्ष 2019 (दिनांक 15.06.2019 तक) के दौरान पंजीकृत कुल जघन्य अपराधों की संख्या वर्ष 2018 की समान अवधि के दौरान 2768 की तुलना में 2487 है, इस प्रकार विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान जघन्य अपराधों में 10.15% की गिरावट आई है।

2. चालू वर्ष (दिनांक 15.06.2019 तक) के दौरान, वर्ष 2018 की समान अवधि की तुलना में लूट-पाट, अपहरण एवं घरों में चोरी जैसे शीर्षों के तहत अपराधों में क्रमशः 16.43%, 1.3% और 27.67% की कमी आई है।

3. दिल्ली पुलिस ने अपराधों को रोकने और उनका तेज़ी से पता लगाने, दोनों के संबंध में कई उपाय किये हैं, जिनमें से मुख्य उपायों में संगठित अपराध के विरुद्ध कारवाई, कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी/निगरानी, पुलिस की मौजूदगी बढ़ाने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में संयुक्त सामूहिक गश्त करना, बीटों के पुनर्गठन सहित बीट पुलिस व्यवस्था पर अधिक ध्यान देना, अपराधियों की गहन निगरानी और 'जनसंपर्क' तथा अन्य सामुदायिक दृष्टिकोण के कार्यक्रमों के माध्यम से नागरिक-केन्द्रित पुलिस व्यवस्था शामिल हैं।

******